न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06 मथुरा।
पीठासीनः– श्रीमती नीलम ढाका (एच.जे.एस)
UPMT010006982026

सत्र परीक्षण संख्या–126/2026

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

रंजीत उर्फ चीनी उर्फ पहाड़ी पुत्र कैलाश , उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी–जाटव बस्ती किशोरपुरा, वृन्दावन, थाना–वृन्दावन, मथुरा।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–10/2021
धारा–4/25 **आयुध अधिनियम**
थाना–**वृन्दावन**, जिला–मथुरा।

दिनांक 18.03.2026

अभियुक्त रंजीत उर्फ चीनी उर्फ पहाड़ी पुत्र कैलाश द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र 6 ख व 7 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्रवाद में अभियुक्त रंजीत उर्फ चीनी उर्फ पहाड़ी दिनांक 07.01.2021 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है, उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.02.2026 को जेलर जिला कारागार, मथुरा द्वारा अग्रसारित स्वेच्छा से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थनापत्र 7 ख न्यायायल में प्रेषित किया गया था। अभियुक्त की पत्रावली को उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की है। उक्त प्रार्थनापत्र पर विचार किया गया। विचार करने के पूर्व अभियुक्त को पुनः अवगत कराया गया कि जुर्म इकबाल करने पर उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जा सकता है तथा अधिकतम दण्ड के बारे में भी उसे अवगत कराया गया, जिस पर अभियुक्त ने उल्लेखित किया कि वह अपना जुर्म स्वेच्छा से इकबाल करना चाहता है तथा मुकदमा भी लडना नहीं चाहता है, क्योंकि वह एक बेरोजगार अस्वस्थ व गरीब व्यक्ति है, जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। इस बिन्दु पर अभियुक्त को अवगत कराया गया कि अगर वह चाहे तो सरकारी अधिवक्ता न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले खर्चे से उसे बचाया जा सकता है। इसके बावजूद अभियुक्त ने उल्लेखित किया कि उसे न्यायालय में लगने वाली विभिन्न तिथियों पर आना पड़ता है और कहां जब उसने असलाह स्वयं रखकर नियमों को तोड़ा है तो उसे दण्ड भी मिलना चाहिए, जिससे वह स्वयं अपने द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य का पश्चाताप कर सके।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र 6 ख व 7 ख के प्रकाश में संबंधित पत्रावली को देखा गया तो स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० –10/2021 के अन्तर्गत आरोप धारा–4/25 आयुध अधिनियम दिनांक–13.02.2026 को विरचित किया गया। इस संबंध में अभियुक्त ने उल्लेखीत किया कि उसने किसी के खिलाफ ओर कोई घटना कारित नहीं की है और जो भी मुकदमा है उसमें उसे अभियुक्त बनाया गया है जबकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसे न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है वह दोषमुक्त होगा। अतः चाहा कि इसी प्रार्थनापत्र पर विचार करते हुये उसके द्वारा

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.03.18 17:02:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जेल में बिताई गयी अवधि से दोषमुक्त किया जाये।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कि अभियुक्त एक असहाय, अस्वस्थ एवं गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। चूँकि स्वयं अभियुक्त के द्वारा मुकदमा न लड़ने की तथा स्वयं स्वेच्छा जुर्म इकबाल करने की बात कहीं गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 7 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रंजीत उर्फ चीनी उर्फ पहाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6 ख व 7 ख स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को सत्र वाद सं० 126/2026 अन्तर्गत मु०अ०सं०–10/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना–वृन्दावन, जिला मथुरा में सिद्धदोष किया जाता है।

अभियुक्त को दो माह के कारावास तथा मु०–500/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस प्रकरण में कारागार में बिताई गयी अवधि उपरोक्त दण्ड में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट तैयार किया जाये।

अभियुक्त के कब्जे से बरामदशुदा माल नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक–18.03.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06 मथुरा।
ID UP 2653